

## सूचना-441

UG Sem-I, II एवं V के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि सत्र-2023-24 के

छात्रवृत्ति कार्य करने के लिये छात्रों को 05/03/2024 तक कार्यालय में आवेदन करना पता कर कोनाफाइल प्राप्त कर लेना है

भारत सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना

### सूचना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र-2023-24 के लिए झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के लिए पूर्व से निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से तिथि विस्तारित की जाती है-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	ई-कल्याण पोर्टल पर कार्यवाही के लिए विस्तारित अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि	29.02.2024
2.	शैक्षणिक सत्र-2023-24 हेतु छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि	5.03.2024
3.	संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि।	15.03.2024

2. शैक्षणिक संस्थानों के पंजीकरण हेतु जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-04.03.2024 तक पूर्ण कर ली जाएगी।

3. जिन शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं को सत्र 2022-23 में किसी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए योग्य पाया गया है वैसे शैक्षणिक संस्थानों को उसी पाठ्यक्रम के लिए पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अन्तर्गत Renewal के तहत छात्र-छात्रा सीधे ई-कल्याण पोर्टल पर 2023-24 के लिए केवल अपना Bonafide एवं 2022-23 का उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र अपलोड करेंगे।

4. सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश है कि राज्य के अन्तर्गत एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों के वर्ष 2022-23 के लम्बित/बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने के साथ-साथ 2023-24 के छात्रवृत्ति का भी भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्य दिशा निर्देश पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार Website-ekalyan.cgg.gov.in पर उपलब्ध है।

19/2  
आदिवासी कल्याण आयुक्त।